न्यायालयः वरूण कुमार शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

प्रकरण क्रमांक 31/2018 समरी

शासन पुलिस मों, जिला भिण्ड, म.प्र.

विरुद्ध

- सज्जाक खान पुत्र चिंतामन, आयु 25 वर्ष,
 निवासी वार्ड नं.2, उपरटोला, मौं
- 2— मुरारी सिंह यादव पुत्र सुजान सिंह, आयु 40 वर्ष, निवासी वार्ड नं.3, लुहारपुरा, मौं,
- 3— बंटी सिंह यादव पुत्र बन्नाम सिंह, आयु 30 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 3, लुहारपुरा, मौं,
- 4— असार खान पुत्र निसार खान, आयु 21 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 10, गांधी मार्केट, मौं,
- 5— नरेन्द्र पचौरी पुत्र विनोद पचौरी, आयु 32 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 11, व्यास मौहल्ला, मौं, जिला भिण्ड, म.प्र.

नि र्ण य

(आज दिनांक-17.05.2018 को घोषित)

- 1— अभियुक्तगण की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर उन्हें सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया।
- 2— अभियुक्तगण के द्वारा किए गए अपराध से सामाजिक कुरीति को बढ़ावा मिलता है। प्रकरण की परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर उन्मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।
- 3— प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक अभियुक्तगण को सार्वजिनक द्यूत अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत 100/रूपये—100/रु रूपये अंकन दो सौ रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर व्यतिक्रम किए जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को 2—2 दिन का साधारण कारावास भुगताया जाये।
- 4— प्रकरण में जप्तशुदा 2230 / रूपये राजसात किए जाये, तथा 52 ताश के पत्ते मूल्यहीन होने से नष्ट किए जाये।

वरूण कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)